न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–172 / 2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रंजना देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
29/01/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–640 / म0नि0को, दिनांक–08.07.2019 से प्राप्त विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–178 / 19 दिनांक 11.06.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन टेम्पु निबंधन सं0–BR07PB-8526 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी वीणा देवी, पति–विनोद साह को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। परन्तु कारण पृच्छा दाखिल के उपरान्त अनुपस्थित है। इसलिए एकपक्षीय सुनवाई की गयी। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा गश्ती एवं छापामारी के दौरान दिनांक 11.06.2019 को रात्रि समय 0.45 बजे आजमनगर शिक्षक कॉलोनी पहुँचे तो देखा कि सड़क पर एक टेम्पु लगी हुई है तथा उससे तीन आदमी मिलकर बोरा उतारकर रख रहे हैं। पुलिस बल जैसे ही नजदीक पहुँची तो तीनों व्यक्ति भागने लगा। इसी बीच पुलिस कार्रवाई को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गये। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत उक्त टेम्पु BR07PB-8526 की तलाशी किया गया। तलाशी के क्रम में टेम्पु पर तीन चट्टी का बोरा मिला, जिसे खोलकर देखा गया तो प्रत्येक बोरा में से 90 बोतल सहेली नेपाली देशी शराब पाया गया। निशानदेही पर अन्य जगहों से भी भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ, जिसे जब्त किया गया। परन्तु उक्त वाहन से तीन चट्टी के बोरा में कुल 270 पीस 300*ml* का कुल 81.000 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत् उक्त टेम्पु के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा में कथन है कि विपक्षी उक्त जब्त वाहन के वास्तविक स्वामी एवं महिला हैं। पुलिस द्वारा उक्त वाहन से शराब बरामद होने संबंधी गलत तथ्य दर्ज किया गया है। अतः वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय। विपक्षी इस हेतु बॉण्ड देने को तैयार है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं विपक्षी द्वारा दाखिल कारण पृच्छा तथा अभिलेख पर संधारित अन्य कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त टेम्पु BR07PB-8526 से चौर्य व्यापार एवं भंडारण हेतु परिवहन के क्रम में कुल कुल 81.000 लीटर	

अवैध शराब बरामद किया गया। जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया, जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–178/19 दिनांक 11.06.2019 में जब्त वाहन टेम्पु रजि0 नं0–BR07PB-8526 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा